जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति

जमशेदपुर - 831001

(झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 427 एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के भवन उपनियम की कंडिका 7.1 के तहत स्वीकृति)

बिल्डींग परमिट संख्या 28464.............

दिनांक 17/07/2014

सेवा में,

अंशधारी सह प्राधिकार प्राप्त श्री श्रवण अग्रवाल एवं श्री काशीनाथ अग्रवाल,
हो0 सं0– 174, काशीडीह (डिहीबारी) एरिया, जमशेदपुर।

महाशय,

हो0 सं0– 174, काशीडीह (डिहीबारी) एरिया, जमशेदपुर पर आपके द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में ब्लॉक ए Ground Floor (Parking) + 2nd Floor, ऊँचाई 8.84 मी0, इकाई 16 अदद, ब्लॉक बी0 Ground Floor (Parking) + 2nd Floor, ऊँचाई 8.84 मी0, इकाई 14 अदद कुल इकाई 30 अदद आवासीय भवन के भवन प्लान की स्वीकृति निम्न शर्तो पर दी जाती है :-

1. आवेदक द्वारा दी गयी जानकारी एवं दस्तावेज में अंश भाग भी गलत पाए जाने पर भवन प्लान की स्वीकृति रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
2. स्वीकृत भवन प्लान से किसी प्रकार का विचलन भवन निर्माण या इसकी उपयोगिता में मान्य नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भवन की ऊँचाई/मंजिल की संख्या एवं निर्माण क्षेत्र (Bulitup Area) में वृद्धि नहीं होगी।
3. भवन प्लान में सेट बैक एवं ड्राइव वे के लिये दिखायी गयी खूली जगह एवं अन्य खूली जगह में किसी प्रकार का निर्माण नहीं करना होगा।
4. निर्माण की गुणवत्ता झारखंड लोक निर्माण विभाग/भारतीय मानक के विशिष्टियों के अनुरूप होगी। निर्माणकार्य एवं सरंचना के सही रूपांकण अद्यतन भारतीय मानकों (Indian Standered) के साथ–साथ भूकम्प रोधी मानक के आधार पर किया जाय। निर्माण कार्य सरंचना के सही रूपांकन एवं इसकी सुरक्षा का दायित्व संबंधित अनुज्ञप्तिधारी अभियंता के साथ–साथ निर्माणकर्ता पर होगा।
5. निर्माणकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी अभियन्ता को निर्माण कार्य आरम्भ होने की सूचना विशेषकर कर प्लीन्थ/भूमि तल निर्माण हो जाने के बाद जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को देनी होगी एवं दस दिनों के अन्दर इसकी जाँच कराने के बाद ही आगे निर्माण कार्य किया जा सकेगा।
6. निर्माणकर्ता को विधुत आपूर्ति की व्यवस्था के साथ–साथ ट्रान्सफरमर की व्यवस्था करनी होगी। विधुत आपूर्ति की वैकल्पिक रूप से पर्याप्त क्षमता वाला ध्वनी वा प्रदूषण रहित जनरेटर लगाना होगा।
7. जल उपलब्धता के लिये डीप बोरिंग नहीं करना होगा। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करनी होगी। आवश्यक क्षमता का सेप्टिक टैंक व सोक पीट का निर्माण करना होगा।
8. अग्नि सुरक्षा के लिए प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी, झारखण्ड रॉची के पत्रांक 84, दिनांक 28.02.14 द्वारा दिये गये सुझाव, मंतव्यों एवं भवन प्लान में अंकित सुरक्षा उपायों का शत प्रतिशत प्रावधान करना होगा।
9. Rain water Harvesting के साथ Ground water Recharging का प्रावधान सुनिश्चित रूप से करना होगा।
10. भवन निर्माण में 50% फलाई ऐश ब्रीक्स (Fly Ash Bricks) का प्रयोग करना होगा।
11. चहारदिवारी का निर्माण, लाईटिंग पोल की व्यवस्था, पेवमेंट का निर्माण तथा पेड़ लगाने का कार्य अनिवार्य रूप से भवन–उपनियम के अनुसार किया जायेगा। विधुत तड़ित चालक (Lightning Conductor) की व्यवस्था मानक के अनुसार निश्चित रूप से करनी होगी।
12. निर्माण स्थल पर एक बोर्ड (सूचना पट्ट) लगाना होगा, जिस पर भूमि मालिक का नाम, निर्माणकर्ता का नाम एवं पता, प्लॉट एवं खाता संख्या, रकबा स्वीकृत भवन प्लान का परमिट संख्या कुल स्वीकृत तल एवं स्वीकृत फ्लैट्स आदि का विवरण देना होगा।
13. स्वीकृत भवन प्लान की वैधता तीन वर्ष तक रहेगी तथा जमीन के आवासीय उपयोग रकवा सक्षम पदाधिकारी से संशोधित कराना होगा। इस अवधि में निर्माण कार्य पूरा करना होगा। भवन निर्माण पूर्ण होने पर Completion Certificate के साथ जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय को विहित प्रपत्र में सूचना देनी होगी तथा Occupancy Certificate प्राप्त किये बिना Occupancy नहीं दी जा सकेगी।
14. अक्षेस के प्लानिंग स्टेनडर्ड एवं बिल्डिंग बाइलज 2007 में वर्णित अन्य प्रभावी कंडिकाओं का पालन करना होगा। भवन निर्माण के दौरान जमशेदपुर अक्षेस द्वारा कोई निर्देश दिया जाता है तो उसे निर्देश का पालन सुनिश्चित करना होगा।
15. झारखण्ड अपार्टमेंट अधिनियम 2011 में वर्णित संबंधित कंडिकाओं का पूर्णतः पालन करना होगा।
16. भवन प्लान की स्वीकृति से प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का स्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा। माननीय न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई विवादित भूमि/सरकारी भूमि/आदिवासी खाता की भूमि/किसी अन्य की टाइटिल वाली भूमि पर किसी भी हालत में भवन निर्माण नहीं किया जायेगा, अगर ऐसा होता है तो भवन प्लान रद्द माना जायेगा।
17. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन नहीं किये जाने पर बिल्डिंग परमिट को रद्द करने का अधिकार जमशेदपुर अक्षेस को होगा।

17.7.14

कनीय अभियन्ता,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

सहायक अभियन्ता,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।

17/7/14

विशेष पदाधिकारी,
जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति।